संख्या–11/2016/ 812/ सत्रह-म- 2016 ।।-1-अ(4)/2006

प्रेषक

नीलम अहलावत
सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 मई 2016

विषय- अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405 – मछली पालन- आयोजनेत्तर – 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 32/ले0शा0/ बजट/ 2016-17 दिनांक 28-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 19 जनपदों में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन – आयोजनेत्तर 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष्य धनराशि रू0 10.00 लाख एवं 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि 515.00 लाख के सापेक्ष्य धनराशि रू0 459.407 लाख कुल धनराशि रू0 469.407 (रूपया चार करोड उन्हत्तर लाख चालीस हजार सात सौ मात्र) उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित जनपदवार फांट के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है –

क्र0सं0	मत्स्य पालक विकास अभिकरण/ जनपद	20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन)	31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)
1	मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ	83000	2690000
2	मत्स्य पालक विकास अभिकरण उन्नाव	143000	3357500
3	मत्स्य पालक विकास अभिकरण रायबरेली	198000	5022000
4	मत्स्य पालक विकास अभिकरण फैजाबाद	157600	2276000
5	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा	74800	2580000

http://shasanadesh.up.nic.in

6	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुल्तानपुर	138000	2448000
7	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बाराबंकी	137200	1450000
8	मत्स्य पालक विकास अभिकरण इलाहाबाद	80000	2583400
9	मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रतापगढ	67000	1200000
10	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोरखपुर	84600	2779600
11	मत्स्य पालक विकास अभिकरण देवरिया	138800	3452600
12	मत्स्य पालक विकास अभिकरण आजमगढ	159000	2054800
13	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बलिया	90000	2370000
14	मत्स्य पालक विकास अभिकरण वाराणसी	120000	707000
15	मत्स्य पालक विकास अभिकरण जौनपुर	77800	2198000
16	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गाजीपुर	88000	2283000
17	मत्स्य पालक विकास अभिकरण मेरठ	61200	395000
18	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बदायूं	46800	2472800
19	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बस्ती	55200	362100
	योग -	1000000	45940700

20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) रू0 10,00,000/-

31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 45940700/-

कुल रूपया (गैरवेतन+वेतन) (रू0 चार करोड उन्हत्तर लाख चालीस हजार सात सौ मात्र)

1- नयी परियोजना / योजना /सेवा के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने सम्बंधी जो भी प्रस्ताव किये जायं उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ- साथ उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -1 के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा / उपलब्ध कराया जाय ।

2- जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त पोषण किया जाना प्रस्तावित है उसमें किश्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार /संस्थाओं की शर्तो के अनुसार किया जाय । केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण योजनाओं के सम्बंध में उनके द्वारा लगायी गयी शर्तो का स्वीकृत आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट मे प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश संख्या -बी- 1-1195/ दस **-16** /94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत् निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ – साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 2 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

6. उ0प्र0बजट मैनुअल के पैरा – 88 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियत्रंक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थित हो और सचिवालय के सम्बंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें की व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय ।

7. वित्तीय स्वीकृति का उपयोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशियों आवंटन(एलाटमेंट) मात्र किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की सवीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय । जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्रमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही व्यय किया जाय ।

9. अधीनस्थ अधिकारियों को जारी की जाने वाली धनराशि के कोषागार से किश्तों में आहरण सम्बंधी आदेश का समावेश सुनिश्चित किया जाय।

10. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में समय-समय में जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

http://sitasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन- आयोजनेत्तर की योजना 190 – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधारित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) (के075/रा0 25- के0रा0) की मानक मद 31- सहायता सामान्य(वेतन) 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीया

नीलम अहलावत
सचिव ।

संख्या- 11/2016/812 / सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय ।
5- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in